लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5380
05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय वस्त्र और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना

5380. श्री रमेश बिन्द:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वस्त्र और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग के विकास के अवरुद्ध होने के लिए कच्चे माल की कमी, वस्त्र-आदान मूल्य में वृद्धि, अप्रचलित मशीनरी, विद्युत की कमी, भारी उत्पाद शुल्क और रुग्ण मिलों आदि जैसे कुछ कारणों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है;

(घ) इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों का ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग में कार्यरत कामगारों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके कौशल में वृद्धि करने के संबंध में कोई पहल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): सरकार देश में विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं अर्थात् समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना, सिल्क समग्र 2.0, पटसन (आईकेयर-बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग प्रक्रिया), संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम आदि को क्रियान्वित कर रही है।

इसके अलावा, सरकार हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं के तहत, हथकरघा बुनकरों को कच्ची सामग्री, करघे और उन्नत एसेसरीज, कौशल प्रशिक्षण, अवसंरचनात्मक विकास, डिजाइन और उत्पाद विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में विपणन, मुद्रा ऋण आदि के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं में कच्ची सामग्री की आपूर्ति और करघा उन्नयन के साथ-साथ इन उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन सहायता दोनों के माध्यम से हथकरघा उत्पादों के निर्माण के लिए हथकरघा श्रमिकों की सहायता करना शामिल है। सरकार, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम करती रहती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मांग को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के कारण उत्पादन में गिरावट को दूर करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर वस्त्र उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए वस्त्र क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख प्रयास/उपाय किए हैं:

i) सरकार ने दिनांक 17 मार्च, 2023 को घोषणा की है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र पार्क अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएंगे। आशा है कि प्रत्येक पार्क के माध्यम से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

ii) सरकार ने देश में वस्त्र क्षेत्र को आकार और स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने हेतु एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की अवधि के दौरान 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्र हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है।

iii) वस्त्र क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात के लिए मार्च 2019 से प्रभावी राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को दिनांक 31 मार्च 2024 तक जारी रखा गया है।

iv) सरकार ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और नवाचार के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक चार साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ 1480 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया है। विशिष्ट फाइबर और कंपोजिट्स, जियोटेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, डिफेंस टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स और पर्यावरण के अनुकूल/बायोडिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्र; को शामिल करते हुए 94 श्रेणियों में शोध विषय की पहचान की गई है और शोध प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। आईआईटी, डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन), सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) और वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशनों जैसे अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए नवासी (89) अनुसंधान परियोजनाओं को 264 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया गया है।

(ङ) और (च): वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से तकनीकी क्षेत्रों जैसे बुनाई, रंगाई/छपाई और डिजाइनिंग आदि में आवश्यकता आधारित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक (दिनांक 28.02.2023 तक) के दौरान, 74,565 हथकरघा श्रमिकों को उनके कौशल को उन्नत करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

***